RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION
Entrepreneur First

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION
राजस्थान वित्त निगम
Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur 302005
Tel: 2385522 Fax: 2385503
e-mail ID: info@rfc.rajasthan.gov.in

Ref.-No.RFC/F.CAS-1/Gen.85 /420	Dated: 17.03.2020

परिपत्र
(सी.ए.एस.52)

विषय – मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 13.12.2019 के द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना सम्पूर्ण राजस्थान में लागू की गई है। योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं वितरित 10 करोड रूपये तक के ऋण पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण का समय पर चुकारा करने पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान देय होगा –

क्र.सं.	अधिकतम ऋण राशि	ब्याज अनुदान
1	25 लाख रूपये तक	8 %
2	25 लाख रूपये से 05 करोड रूपये तक	6 %
3	05 करोड रूपये से 10 करोड रूपये तक	5 %

उपरोक्त योजना 17 दिसम्बर, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रहेगी। योजना की एक प्रति पूर्व में निगम के पत्र दिनांक 11.02.2020 के द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है।

योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति/संस्थागत आवेदक उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित जिले के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को आवेदन करेंगे अथवा वित्तीय संस्थान स्तर से सीधे स्वीकृत/वितरित प्रकरण (ऑफ लाइन) संलग्न प्रपत्र–2(अ) एवं प्रपत्र–2(ब) में निगम के लेटर हेड पर आवश्यक सूचना भरकर शाखा प्रबन्धक द्वारा अपने हस्ताक्षर से संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को भिजवाया जाएगा।

सभी शाखा प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है कि –

1. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का गहनता से अध्ययन करें।
2. योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों के लिए सूचना हेतु अलग से रजिस्टर में प्रविष्टियां करें।
3. योजना की प्रभावी तिथी दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 से जनरल टर्म लोन (General Term Loan) में नये उद्योग, पूर्व में स्थापित उद्योग का विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण इत्यादि के लिए स्वीकृत ऋणों में शाखा प्रबन्धक संलग्न प्रोफार्मा {प्रपत्र–2(अ) एवं प्रपत्र–2(ब)} में आवश्यक सूचना भरकर संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र में ब्याज अनुदान हेतु आवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

...2

1. योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान हेतु तिमाही की समाप्ति के पश्चात निर्धारित प्रपत्र में मांग पत्र (क्लेम) संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को भिजवाना सुनिश्चित करें। मांग पत्रानुसार महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा योजना अंतर्गत देय ब्याज अनुदान की स्वीकृति एवं वितरण किया जाएगा।

4. शाखा प्रबन्धक संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के निरन्तर सम्पर्क में रहेगा एवं आवश्यक सूचना/कमियों की पूर्ति करना सुनिश्चित करें।

सभी शाखा प्रबन्धकों से अपेक्षा की जाती है कि उक्त योजना का अधिक से अधिक प्रचार/प्रसार करके अधिकतम ऋण पत्रावलियां प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(उर्मिला राजोरिया)
प्रबन्ध निदेशक

संलग्न – उपरोक्तानुसार.

प्रतिलिपि –
1. समस्त शाखा कार्यालय
2. स्टेण्डर्ड सर्कूलेशन, मुख्यालय स्तर पर
3. उप महाप्रबन्धक(एम.एस.), वेब साइट पर अपलोड करने हेतु

वित्तीय संस्थान स्तर से सीधे वितरित प्रकरण हेतु प्रपत्र

प्रपत्र–2 'अ'

वित्तीय संस्थान का नाम ....

वित्तीय संस्थान का पूर्ण पता एवं कोड संख्या.......................................

फोन नं.:–......................... मो. नं.:–......................... ई–मेल पता:–.................................

सेवा में,

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र

....

विषय :– " मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना " अन्तर्गत ब्याज अनुदान हेतु

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय संस्थान के स्तर पर निम्नानुसार ऋण वितरण किया गया है :–

☐ **नवीन उद्यम स्थापना**

☐ **स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु**

क्र. सं.	आवेदक/सोसाईटी/भागीदारी फर्म/एल.एल.पी.फर्म/कम्पनी/स्वयं सहायता समूह का नाम व पूर्ण पता	गतिविधि का नाम	वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत ऋण (सावधि एवं कार्यशील पूंजी)		ब्याज दर	ऋण अवधि (अधिकतम 5 वर्ष)	वित्तीय संस्थान द्वारा वितरित ऋण (सावधि एवं कार्यशील पूंजी)	
			दिनांक	राशि			दिनांक	राशि
1.								

कृपया इन्हें **मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना अंतर्गत** ब्याज अनुदान राशि का लाभ दिलवाने हेतु जिला टास्क फोर्स समिति से अनुमोदित करवाने का कष्ट करें । **इनकी पात्रता हेतु** सूचना पत्रक (प्रपत्र–2 'ब') संलग्न **प्रेषित है।**

शाखा प्रबन्धक

(हस्ताक्षर एवं मोहर)

वित्तीय संस्थान स्तर से सीधे स्वीकृत / वितरित प्रकरण हेतु प्रपत्र

.... वित्तीय संस्थान,

शाखा ....

वित्तीय संस्थान के स्तर पर नवीन उद्यम स्थापना / स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु "मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत ब्याज अनुदान की पात्रता हेतु सूचना पत्रक

☐ नवीन उद्यम स्थापना

☐ स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण हेतु

1.	आवेदक / सोसाईटी / भागीदारी फर्म / एल.एल.पी. फर्म / कम्पनी / स्वयं सहायता समूह का नाम				
2.	आवेदक का वर्ग (आवेदक / सोसाईटी / भागीदारी फर्म / एल.एल.पी.फर्म / कम्पनी / स्वयं सहायता समूह)				
3.	अधिकृत व्यक्ति का नाम				
4.	अधिकृत व्यक्ति का आधार सं. / जन आधार सं. (प्रति संलग्न करें)				
5.	पिता / पति का नाम				
6.	जन्म तिथि (सोसाईटी / भागीदारी फर्म / एल.एल.पी. फर्म / कम्पनी / स्वयं सहायता समूह के प्रकरण में गठन की तिथि एवं पंजीकरण संख्या)				
7.	अधिकृत व्यक्ति का पूरा पता (निवास से संबंधित प्रमाण संलग्न करें)				
8.	आवेदक का फोन / ई–मेल पता				
9.	लिंग (स्त्री / पुरूष)				
10.	व्यवसाय / गतिविधि का विवरण		उद्योग	सेवा	व्यापार
11.	आवेदक के कार्यस्थल / दुकान का पता				
12.	परियोजना लागत (सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी)				
13.	आवेदक की स्वीकृत ऋण राशि (सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी)				
14.	आवेदक का ऋण स्वीकृति दिनांक (मय बैंक स्वीकृति पत्र)				
15.	पूर्व 5 वर्षो में केन्द्र / राज्य सरकार से रोजगार मूलक योजना में लाभान्वित (हां / नहीं)				
16.	आवेदक की श्रेणी (संस्थागत आवेदक पर लागू नहीं)	☐ सामान्य ☐ अनुसूचित जाति ☐ अल्पसंख्यक	☐ ओबीसी / एसबीसी ☐ अनुसूचित जनजाति ☐ दिव्यांग		

हस्ताक्षर एवं मुहर
शाखा प्रबन्धक